फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : लालूराम बनाम प्रतिवादी : देउबाई

किस्म मुकदमा : वाद प्रकरण संख्या : 31/21

दिनांकः 13.08.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में वादी वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के सन्दर्भ में दौराने दावा पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादी के नाम पर म्यूटेशन तस्दीक किया जा चुका है जिससे वादी खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में वादग्रस्त जमीन का खातेदार अधिपत्यधारी है इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह वाद चलाना प्रासग्कि नहीं रहता है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण को विड्रो फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवम् प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायायल का विनम्र अभिमत है कि वादी को पंजीयत वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है, जिससे उक्त वाद को अब आगे नहीं चलाना चाहते है। वादीगण द्वारा उक्त वाद को विड्रो किए जाने से उक्त में आगे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर उक्त वाद विड्रो किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:29 IST
Reason: SelfAttested